न्यायालय के समस्त [illegible] व नवीन राजस्व प्रकरणों का प्रशासन गाँवो के संग अभियान के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा / समझौता अथवा मेरिट के आधार पर विधि सम्मत निस्तारण किया जायेगा ।

अतः इस पत्रावली संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र....[illegible]....में आयंदा दिनांक..24/11/21.......को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

दिनांक..24/11/21......

पक्षकारान/वकुलाय उपस्थित

यह पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र....[illegible]....पर बरोज आज पेश हुई । प्रशासन गाँवो के संग अभियान के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता हेतु समझाईश की गई, परन्तु पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता नहीं हो सका है ।

अतः यह पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा में आयंदा दिनांक....12/1/22....को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

14/1/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी द्वारा मूल वाद विड्रोल करने से से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आगे चलाना न्याय हित में नही होने से प्रा० पत्र जरिये विड्रोल खारीज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सुमेरपुर (पाली)

Id. by
Adv